



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक:- 16.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-परवेन्द्र पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सुनील कुमार कोतवाली बागपत।
- 2-उपनि० श्री दीपक कुमार कोतवाली बागपत।
- 3-का० 221 जगमाल कोतवाली बागपत।
- 4-का० 846 नरेन्द्र कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16-11-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- वसीम उर्फ चूहा पुत्र शफीक निवासी मौ0 कारस्यावान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- राजू पुत्र रहतू निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत ।
- 2- उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना बडौत ।
- 3- का0 814 अमित नागर थाना बडौत ।
- 4- का0 1102 सुशान्त सिंह थाना बडौत ।
- 5- क0 1043 सुनील यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16-11-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1084/22 धारा 452/323/504 /506
भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 15-11-2022 को थाना बडौत पर वादी श्री ओमबीर पुत्र रोहताश निवासी मौहल्ला आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त मनोज पुत्र जगवीर निवासी गुराना थाना बडौत जनपद बागपत व दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी व वादी के परिजनो के साथ घर में घुसकर गाली-गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गयी वादी व जनता के व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त मनोज उपरोक्त को थाने लाया गया । थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1084/22 धारा 452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मनोज पुत्र जगवीर निवासी गुराना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 932 रविन्द्र कुमार थाना बडौत ।

2-हो0गा0 368 कृष्णपाल थाना बडौत ।



**प्रेस नोट
थाना बडौत**

दिनाँक 16.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 1083/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 15.11.2022 को वादी श्री दानिश पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने थाना बडौत पर सूचना दी कि अभियुक्त अरूण पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली द्वारा उसका मोबाइल ओपो A54 को चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0स0 1083/22 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया है ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 1083/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन ओपो A54 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अरूण पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन ओपो A54

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत ।
- 2-का0 1102 सुशान्त सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 972 आदित्य प्रताप थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 16.11.2022

थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी साक्षी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-महीपाल पुत्र भूरु निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-दीपक पुत्र महेन्द्र निवासी पट्टी भोजान करुबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।
- 2-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह ।
- 3- उ0नि0 श्री रामकुमार ।
- 4-उ0नि0 मौ0 अब्बास नकवी ।
- 5-का0 73 रविन्द्र कुमार ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 16.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभि0गण का नाम व पता:-

1-विनोद पुत्र प्रकाश नि0 सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-रणधीर पुत्र सुन्दर सिंह नि० तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि० श्री राकेश त्यागी थाना छपरौली ।

2-का० 1006 नरसिंह थाना छपरौली ।

3-का० 976 लवकुश थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक: 16.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-देवेन्द्र पुत्र सुखवीर निवासी बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-मनीष पुत्र महीपाल निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र राणा थानाध्यक्ष थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह ।
- 3-उ0नि0 श्री विनोद कुमार ।
- 4-का0 442 प्रमोद कुमार ।
- 5-का0 44 संजीव कुमार ।
- 6-का0 48 आकाश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनाँक 16-11-2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 301/22 धारा 279/337/338 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक ट्रक बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 14.11.2022 को थाना बिनौली पर वादिया ने सूचना दी कि ट्रक संख्या HR 38 R 6339 के चालक महताब पुत्र शरीफ निवास ग्राम पोईस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पति को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 301/22 धारा 279/337/ 338 भादवि पंजीकृत किया गया है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 301/22 धारा 279/337/338 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक ट्रक HR 38 R 6339 बरामद किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बिनौली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-महताब पुत्र शरीफ निवास पोईस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक ट्रक नं०- HR 38 R 6339

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक सलीम अहमद थाना बिनौली ।
- 2- उ०नि० श्री आदित्य कुमार ।
- 3- है०का० 90 रईस हैदर जैदी ।
- 4- पीआरडी सतीश ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 829/22 धारा 302/201 भादवि में प्रकाश में आये वांछित एक बाल अपचारी सहित 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री शिवकुमार निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके भतीजे सन्नी पुत्र संजीव उम्र करीब 23 वर्ष की अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 829/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 04.09.2022 को घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त धीरज उर्फ छोला निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 829/22 धारा 302/201 भादवि में प्रकाश में आये वांछित एक बाल अपचारी सहित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-विजय कुमार पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- एक बाल अपचारी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 2- उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत ।
- 3- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।
- 4- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 16.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 505/22 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 505/22 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तोंका नाम व पता-

- 1-खलील पुत्र यासीन निवासी मुन्नानगर रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-समीम पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मुन्नानगर रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिववीर सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।
- 2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
- 3-का0 427 अरुण भाटी थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16-11-2022

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- महाराजूद्दीन पुत्र नसीबूद्दीन निवासी बारू पट्टी कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार सैनी थाना बडौत जनपद बागपत ।

2- है0का0 165 कुलदीप भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 16.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 394/22 धारा 147/323/506
/354(ख) भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 394/22 धारा147/323/ 506/354ख भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रविश पुत्र जफर निवासी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 2.है0का0 378 बलराज सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3.का0 44 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 991/22 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 1065/22 धारा 393 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटी हुई एक मो0सा0 स्प्लेंडर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 13.10.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगे निवासी चरण सिंह विहार कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि उसकी मो0सा0 नं0 UP 19A 9255 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 991/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 379 भादवि का विलोपन कर धारा 392 भादवि की वृद्धि की गई ।

2. दिनांक 05/11/22 को थाना बडौत पर वादी श्री सहदेव पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम टयौठी थाना बडौत ने सूचना दी कि दिनांक 02-11-2022 को शाम को वह अपने घर जा रहा था तभी रास्ते पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी उसकी मो0सा0 छिनने का प्रयास किया गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1065/22 धारा 393 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

नोट- उपरोक्त मु0अ0सं0 1065/22 धारा 393 भादवि में थाना बडौत पुलिस द्वारा पुर्व में 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 991/22 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 1065/22 धारा 393 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी हुई एक मो0सा0 स्प्लैंडर नं0 UP-19A-9255 बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आयुष पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- लूटी हुई एक मो0सा0 स्प्लैंडर नं0 UP-19A-9255 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 991/22 धारा 392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत।
- 2-का0 413 आकाश सैनी थाना बडौत।
- 3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत।